"मै0 एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग प्रा.लि. (देवपुरा–3)" की जन सुनवाई विवरण

दिनांक 21.06.2022 समय 12.30 दोपहर

जनसुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा, श्री ओ.पी. बुनकर-अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर का स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जनसुनवाई के संबन्ध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा की यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.05.2022 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 20.05.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी।.

यह जनसुनवाई **"मै0 एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग प्रा.लि. (देवपुरा–3)"** द्वारा प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 03/1996 लीज क्षेत्र 34.534 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 220630 TPA ROM एवं प्रस्तावित सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 37500 TPA निकट ग्राम देवपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 252 लाख है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्यों कि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 07.03.2019 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिव कुमार लखारा द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ए. रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई. आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब" के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आमन्त्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:—

क्षेत्रीय अधिकारी श्री शरद सक्सेना ने मटेरियल ट्रांसपोट्रेशन के बारे में कम्पनी हेड से जानकारी प्राप्त करनी चाही :—

इस पर कम्पनी हेड ने बताया कि वास्तव में ट्रांसपोर्ट में जो लीड है वह माईन्स से डम्पिंग प्लेस हार्डली 200—300 मीटर ही है जो एक तो लम्बा ट्रांसपोर्ट लीड नही है फिर भी जो भी है तो हमारे दो टेंकर लगातार जो है वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं उनका मेन उद्देश्य है जहां कहीं पानी की जरूरत होती है पानी की प्लान्टेशन वगेरह मे, पानी सप्लाई करते है। दो टेंकर लगातार घूमते हे।

क्षेत्रीय अधिकारी श्री शरद सक्सेना ने डम्पिंग माल पर ढकने की बात कहीं इस पर कम्पनी हेड ने बताया कि

ओपन दी स्कॉई माल को कवर करना मुश्किल है क्योंकि यह तो लोड करके ही डम्प करना है। माईन्स से उदयपुर तक जो मैटेरियल जाता है उसको हम कवर करते है। डम्प पर कवर करना मुश्किल है, यह नहीं हो पाएगा क्योंकि वह तो लोड करके ही डम्प करना होता है।

डम्पिंग प्लेस के बारे में सक्सना जी के द्वारा पूछने पर फेक्ट्री हेड श्री मोहन लाल पालीवाल जी ने बताया कि यह सभी माईनिंग प्लान के तहत अपने स्थान को डेजिगनट करते है। जो भी कन्सर्न ऑथेरिटी है वह यह काम करती है। आज की तारीख में डीएमजी ऑथेरिटी है । डीएमजी उस प्लान को एप्रुवल करती है उसके तहत ही स्कीम बनती है उसके हर चीज डेजिगनेट करती है। हम इधर—उधर मटेरियल को डम्प नहीं कर सकते हैं।

श्री राकेश मीणा, उप सरपंच, देवपुरा :—

मेरा यह कहना कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। गाडियां चलती है, आती—जाती है मिट्टी तो उडती है। इनका (कम्पनी का) कहना है कि टेंकर से पानी का छिडकाव करते है। श्री राकेश मीणा का कहना है कि माईन्स से घरो में मिट्टी जाती है खाना भी मिटटी के साथ ही खाते है। पर डे 60 —70 गाडिया निकलती है। साठ—सित्तर गाडियों में एक बार में ही पानी सुख जाता है। श्री सक्सेना साहब द्वारा कम्पनी हेड से पूछने पर श्री एमएल पालीवाल ने बताया कि कम्पनी के वाहन एनवायरमेंट टेक्नोलोजी से युक्त है। इस पर श्री राकेश मीणा ने बताया कि धूल—मिट्टी को उड़ने से कन्ट्रोल करना सम्भव नहीं है।

कम्पनी हेड ने बताया कि माईन्स के अन्दर लीज के जो रोड्स है उस पर हम डेफिनेटली पानी छिडकते है। माईन्स के लीज के बाहर आप राकेश जी आप नाप लेना जो लीज से लेकर मेन रोड पक्की रोड बनी है अभी वो डिस्टेन्स 150 मीटर है, 200 मीटर मान ले तो उसके पर फिर भी ये कह रहे है तो, उस पर भी पूर्ण रूपेण वाटर स्प्रिंकलिंग करवा देंगे। एक सुपरवाईजर को डेजिगनेट करेंगे वहां और वह उस रोड को चेक करेगा वो टुकड़ा

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

बहुत कम है फिर हम इस बात को वापस रिव्यु करके देख लेते है। वैसे तो कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो पूरी कर ली जाएगी।

श्री राकेश कुमार मीणा ने बताया :- कि टेंकर माईन्स पर आते जाते रहते है एवं वे टेंकर, खाली (केवल) माईन्स के उपयोग में आते है। इस पर कम्पनी हेड ने बताया कि माईन्स की लीज है वहां से मेन रोड पक्की रोड की दूरी 100 मीटर है । श्री राकेश कुमार मीणा ने बताया कि फेक्ट्री से मेन रोड तक जो गाड़ियां भरी होती है, छिडकाव नहीं होता है। कम्पनी हेड ने बताया कि पानी के छिडकाव की कहा कमी है दिखवाएंगे हम और छिड़काव करवाएंगे

<u>श्री बद्रीलाल मीणा, निवासी भोरईया फला, देवपुरा :-</u> ने बताया कि माईन्स से ब्लास्टिंग से मिट्टी उड़ती है जो उसके घर में आती है, उसका घर माईन्स के पास ही है।

माईन्स हेड श्री पालीवाल ने बताया की माईन्स पर ब्लास्टिंग विहित नियमो के अनुसार ही की जाती है यदी इनका कोई विशेष समस्या है तो तो उसे समझकर निराकरण कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकारी श्री शरद सक्सेना जी ने फेक्ट्री हेड को निर्देश प्रदान किए कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस प्रकार की प्रोब्लम आगे नहीं होनी चाहिए। इस पर कम्पनी हेड ने बताया कि मैं इनके पोईन्ट को गम्भीरता से ले रहा हूं। और मैं इनको इनवाईट कर रहा हूं ऑफिस में आकर देख लीजिए जहां पर मैनेजर है, असिस्टेन्ट मैनेजर है। स्टॉफ है पूरा। आप ऑफिस आना श्री सक्सेना जी ने कम्पनी हेड को सुझाव दिया कि एक हेल्प लाईन नम्बर डिस्प्ले कर दीजिए जिससे किसी को भी कोई प्रोब्लम हो तो उस हेल्प लाईन पर बात कर सकते है। इस सुझाव को कम्पनी हेड द्वारा स्वीकार किया गया। और भी कोई समस्या हो तो ऑफिस में आकर बात कर सकते है।

कुछ ग्रामवासियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ठ "स")

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (परिशिष्ठ "द" में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ठ "य" में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर-(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)
जिला-उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक:1

मैसर्स एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग कम्पनी प्रा.लि. (देवपुरा–3), सोप स्टोन माईन्स, (एम.एल.नं. 03/1996, क्षैत्रफल–34.534 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 220630 TPA ROM एवं प्रस्तावित सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 37500 TPA निकट ग्राम–देवपुरा, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 21.06.2022 को 12:30 PM बजे, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवपुरा में मैसर्स एसोसीएटेड सोपस्टोन डिस्टब्यूटिंग कम्पनी प्रा.लि. (देवपुरा–3), सोप स्टोन माईन्स, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	O. P. Bunkar	ADM, Udaipur	[illegible]
2	Sharad Saksena	RO RPCB Udaipur	[illegible]
3	Dr. Aditi Solanki	SO, RPCB, Udaipur	Aditi
4	Prem Chand Lohar	T.D.R. SARADA	[illegible]
5	Mohan Paliwal	ASDCPL	[illegible]
6	BS Yadav	ASDCO P Ltd	BSY
7	ललित कुमार	देवपुरा	ललित
8	रमेश चन्द्र	"	[illegible]
9	उदयलाल	देवपुरा	उदय
10	साधु लाल	"	[illegible]
11	नाथु लाल	"	नाथुलाल
12	देवेन्द्र मीणा	"	देवेन्द्र
13	कालु लाल वेद	" "	[illegible]
14	रामकुमार	देवपुरा	Ram
15	प्रतापसिंह	" "	[illegible]
16	[illegible]	देवपुरा	[illegible]
17	देवीलाल	" "	देवीलाल

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
18	रामा	सरसिया	रामा
19	खेमराज लोहार	देवपुरा	खेमराज
20	गोवित राम मीणा	कोतिला	[illegible]
21	प्रेमसिंह	कोतिला	प्रेमसिंह
22	पेमा जी	कोतिला	पेमा जी
23	रामलाल मीणा	देवपुरा	रामलाल
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	केसुराव	अमरपुरा	केसुराव
26	चोथमल	देवपुरा	
	पवन कुमार	पाडला	[illegible]
	देवराज	देवपुरा	[illegible]
	Krishnajeet Jain	Devpura	Krishnajeet
	Devendra Singh Ranawat	Devpur	Devendra Singh
	शंकर - [illegible]	नयारा	शंकर
	अर्जुन [illegible]	नयारा	अर्जुन
	सवजी	देवपुरा	सवजी
	रामा	नयारा	रामा
	नानजी	नयारा	
	लक्ष्मणलाल	नयारा	लक्ष्मणलाल
	वेला	कतीला	वेला
	कचरा	गिगची खेड़ा	
	शिव कुमार लखारा	स्वास्थ्य [illegible] प्रा. स्वा.	[illegible]
	जाकिर हुसैन	— " — " —	[illegible]
	नीलिमा नायर	— " —	N Neelima

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	मयंक भावसार	—— " ——	[signature]
	Dr. Neeraj Shrivastava	EnCIPL - Udaipur	[signature]
	Prem Prakash Kumar	Devpura	[signature]

सेवा मे

श्री मान् जिला कलेक्टर महोदय
उदयपुर (राजस्थान)

RO
आ।।
21/6/2022

विषय - गोलछा माईन्स की वजह से धूल मिट्टी उड़ने से ग्रामवासी को राहत दिलाने बाबत

महोदय जी

सविनय निवेदन है ग्राम खाखरड़ा वार्ड नं. 9 मे गोलछा माइन्स की वजह से हमारे गांव मे आंगनबाड़ी छात्र, विद्यालय मार्ग खराब हो गया है अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करावे। से भारी साधन चलने से रोड भी खस्ता हालत में है आने जाने मे राहगीर व ग्रामवासीयों को दिक्कत होती है अतः रोड का कार्य दुरुस्त कराने का श्रम करवावे। गोलछा माइन्स के मलबा से खेती बाड़ी मे नुकसान होता है राहत दिलाने का श्रम करवावें। हमारे गांव मे माइन्स होने से हमारे को रोजगार दिया जावें।

नर्वदा
हिरा

(चन्दा देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत-पाडला
पं.स. जयसमन्द, जि. उदयपुर (राज.)

गणेशी लाल
सोहन
पन्नालाल
रितेश
गोपीलाल
कमलाशंकर
रामा
नारण
सुरज
Sundeep
रामलाल
गोपाल
रविना
आशा
श्यामलाल
मीरा
उदमा
मनिषा
लक्ष्मी
सूनीता
केसरी
लक्ष्मी
लीला
मनिषा
शान्ती लाल
लक्ष्मी
गाथी
निरमा
शान्ता
हकरी
सुन्दरी
अटली
धर्मी
हकरी
गीता
सुगना

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदयजी
जिला - उदयपुर - राज.

Received
during public
hearing.
Daily Bhaskar
21.6.2022

विषय:- ग्राम देवपुरा मे बिलानाम जमीन की लीज करवा कर वृक्षारोपण हेतु जमीन ली थी जो आज व्यवसायिक उपयोग मे ली जारही है जो पुन सरकारी जमीन घोषित की जाई

महोदयजी

उपरोक्त विषय अन्तर्गत नम्र निवेदन है कि पूर्व में सरकारी शिविर के माध्यम से श्री शान्तिलाल s/ हीराचन्द जैन श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा ने वृक्षारोपण हेतु जमीन लीज करवाकर यह जमीन व्यवसायिक उपयोग मे ली जारही है अत यह लीज खत्म कर वापस सरकारी जमीन घोषित करवाने का कष्ट करावे

दिनांक :- 21-06-2022

Rakesh

विनीत

राकेश कुमार मीणा
उप सरपंच देवपुरा